

कानूनी प्रैक्टिस में अधिक महिलाओं को सशक्त बनाने की जरूरत

मुंबई, (पंजाब केसरी): एक महत्वपूर्ण पहल के तहत, एयू कॉर्पोरेट और लीगल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड (एयूसीएल) अब कानूनी प्रैक्टिस के क्षेत्र में अधिक महिलाओं और प्रमुखों को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस अग्रणी पहल पर टिप्पणी करते हुए, एयू कॉर्पोरेट एंड लीगल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड (एयूसीएल) के संस्थापक अक्षत खेतान ने कहा-अनगिनत अध्ययनों ने महिला सशक्तिकरण और कानूनी क्षेत्र में लिंग असमानता के लाभों की प्रशंसा की है। भारत में भी, समकालीन चर्चा में महिला सशक्तिकरण और लिंग असमानता का भरपूर उल्लेख किया गया है। महिलाओं के लिए मर्यादित कार्य स्थितियां बनाने की आवश्यकता है।

डेटा से पता चलता है कि कानूनी क्षेत्र में अधिक महिलाओं को सशक्त करने के लिए, देश को बुनियादी ढाँचे से कहीं अधिक की आवश्यकता है।